राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः एफ13/1/3/ननिज/वीएस/डीईएस/2019/ 11 दिनांक:- 8/1/2020

परिपत्र

विषयः– जन्म रजिस्ट्रीकरण रिकार्ड में बालक/बालिका के नाम की प्रविष्टि के संबंध में।

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 14 एवं राजस्थान जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2000 के नियम 10 के तहत किसी बालक/बालिका के जन्म का पंजीकरण बिना नाम के किये जाने का प्रावधान है तथा बालक/बालिका के माता–पिता या संरक्षक को यह सुविधा प्रदान की हुई है कि बालक/बालिका के जन्म के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 12 माह में निःशुल्क तथा 15 वर्ष की अवधि के भीतर रूपये 5/– विलम्ब शुल्क के साथ बालक/बालिका का नाम जन्म रजिस्ट्रेशन रिकार्ड में प्रविष्ट कराया जाकर प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

ऐसे बालक/बालिका जिनका जन्म पंजीकरण दिनांक 01.01.2000 से पूर्व हुआ है तथा उनके माता–पिता या संरक्षक ने बालक/बालिका के जन्म की रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 15 वर्ष समाप्ति के बाद भी जन्म रिकार्ड में बालक/बालिका के नाम की प्रविष्टि नही कराई गई थी, उन्हे भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय के पत्रांक 1/2/नियम/2012–वीएस (सीआरएस)/2282 दिनांक 04.06.2014 के दिशा–निर्देशानुसार उक्त अवधि को आगामी 5 वर्षो (दिनांक 31.12.2019 तक) के लिए बढाये जाने के लिये निर्णय लिया गया था, परन्तु यह देखने में आया है कि अभी भी कई माता–पिता या संरक्षक द्वारा जन्म रजिस्ट्रेशन के बाद 15 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात भी जन्म रिकार्ड में बालक/बालिका के नाम की प्रविष्टि नही कराई है अर्थात बालक/बालिका का नाम अंकित किया हुआ जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त नही किया गया है, जिसके कारण बालक/बालिका को स्कूल में प्रवेश एवं आदि कार्यो के लिये नाम वाले प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने के कारण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है।

अतः आमजन की सुविधा हेतु ऐसे प्रकरण जिनमें जन्म रजिस्ट्रेशन 01.01.2000 से पूर्व किया गया है और जिनमें बालक/बालिका का नाम अंकित नही कराया गया है उनमें बालक/बालिका का नाम अंकित कराया जाकर जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अवधि दिनांक 31.12.2021 तक बढायी जाती है एवं दिनांक 31.12.2021 के पश्चात यह सुविधा उपलब्ध नही होगी।

(डॉ. ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः एफ13/1/3/ननिज/वीएस/डीईएस/2019/ 11 दिनांकः – 8/1/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं जिला कलेक्टर, समस्त।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव आयोजना, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. उपमहारजिस्ट्रार, महारजिस्ट्रार कार्यालय, भारत सरकार, जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खण्ड प्रथम, आर.के.पुरम, नई दिल्ली–110001
4. जिला रजिस्ट्रार एवं आयुक्त नगर निगम, समस्त।
5. संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, 6–बी, झालाना डूंगरी, जयपुर।
6. जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को जिले के समस्त ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी एवं नोडल अधिकारी जन्म–मृत्यु तथा समस्त रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) को परिपत्र की पालना सुनिश्चित कराये जाने हेतु।

अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
संयुक्त निदेशक (जीवनांक)